

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा  
पीठासीन अधिकारी- श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० -  
39/2018/प्रार्थना पत्र

तारीख दायर  
05.03.2018

तारीख फैसला  
23.03.2018

उनवान

- 1- लूम्बा पिता रूपा नायक निवासी दौलतपुरा तह० फूलियाकलां
- 2- पेमा पिता रूपा नायक निवासी दौलतपुरा तह० फूलियाकलां

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- मदन पिता सुवा नायक निवासी दौलतपुरा तह० फूलियाकलां
- 2- घीसा पिता सुवा नायक निवासी दौलतपुरा तह० फूलियाकलां
- 3- खाना पिता रूपा नायक निवासी दौलतपुरा तह० फूलियाकलां
- 4- देबी पिता नाथू नायक निवासी दौलतपुरा तह० फूलियाकलां
- 5- भज्जा पिता नाथ नायक निवासी दौलतपुरा तह० फूलियाकलां
- 6- गीता पिता नन्दा नायक निवासी दौलतपुरा तह० फूलियाकलां
- 7- चन्ता पिता नन्दा नायक निवासी दौलतपुरा तह० फूलियाकलां
- 8- गोपाल पिता सुवा नायक निवासी खेड़ा पालोला तह० फूलियाकलां
- 9- धापू बेवा देबी नायक निवासी दौलतपुरा तह० फूलियाकलां

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 128 एल०आर०एक्ट  
विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है,  
ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का ईटडिया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के  
संयुक्त खातेदारी की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 28 आ०न० 22  
रकबा 0.06 है०, आ०न० 27 रकबा 0.05 है०, आ०न० 38 रकबा 0.20 है०,  
आराजी कुल किता 03 रकबा 0.31 है० भूमि स्थित है। पेरा नं० 1 मे वर्णित



आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 22.03.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नहीं हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के विरुद्ध दिनांक 23.03.2018 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने बहस करनी चाही जिससे उनकी एक तरफा बहस सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम दौलतपुरा पटवार मण्डल ईटड़िया संवत 2070 से 73 के खाता संख्या 28 आ0न0 22 रकबा 0.06 है0, आ0न0 27 रकबा 0.05 है0, आ0न0 38 रकबा 0.20 है0, आराजी कुल किता 03 रकबा 0.31 है0 के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

### आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का ईटड़िया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 28 आ0न0 22 रकबा 0.06 है0, आ0न0 27 रकबा 0.05 है0, आ0न0 38 रकबा 0.20 है0, आराजी कुल किता 03 रकबा 0.31 है0 के प्रार्थीगण के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे ऑफ सीजन मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 200/- ( अक्षरे दो सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त



करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे।  
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 23.03.2018 को विवृत न्यायालय  
गया।



(भंवरलाल कांसोटिया)

आर०ए०एस०

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलक्टर, फूलियाकलां

फूलिया कलां, जिला-...

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि  
आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जा  
रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीत)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलक्टर

फूलिया कलां, जिला-...